A

कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 300/17-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
30.12.17	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3 –खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेशक के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा अनगांव थाना तोरपा खाता सं0 62/3 प्लॉट सं0 107/75 रकबा 2.52 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत शामलोशी .... पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत्त लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 15.1.18 को उपस्थापित करें। 30/12/17 लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी तोरपा	

Scanned by TapScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश

2.11.2020

अभिलेख उपस्थापित,

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्त्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी / हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान / वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा अनगड़ा के पंजी II में के वॉल्युम सं0 I के पृष्ट सं0 78 में राम लोहार के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आलोक में मौजा अनगड़ा के पंजी II के भाग सं0 I पृष्ट सं0 78 में राम लोहार के नाम से कायम जमाबंदी के विरूद्ध भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 H के तहत प्रारंभ की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। भविष्य में विभागीय नियमों / उच्चत्तर न्यायालय के आदेश आदि के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर) 12/11/2020

अंचल अधिकारी

तोरपा

Scanned by TapScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी तोरपा।

विषय :- वाद सं० 300/16-17 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रैयत राम लोहार के नाम से मौजा मनमानी के खाता नं० 68 प्लाट नं० 107, 75 कुल रकबा 2.52 की जमाबन्दी पंजी II के पृष्ठ सं० 78 भाग I में दर्ज है। बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के तहत करवाई की गई। बन्दोबस्त रकबा

खाता	प्लाट	रकबा	जमीन किस्म
68	75	1.43	परती - कदीम
	107	1.09	परती गड्ढा
		2.52	

वादी राम लोहार के वंशज द्वारा लगान रसीद वर्ष -2010-11 प्रस्तुत किया गया।

हल्का में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज की जाँच की गई। जाँचों उपरान्त निम्नांकित तथ्य सामने आई।

① पंजी II में बन्दोबस्त केश नं० 112R 8/1960-61 दर्ज पाया गया।

② लगान रसीद 2010-11 तक वसुली पाया गया।

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वादी के वंशज का उक्त मौजा में खतियानी जमीन नहीं है। जिसका छाया प्रति संलग्न है। अत: उक्त ~~भूमि~~ भूमि का नियमितिकरण करण किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर)
रा० क०

(हस्ताक्षर)
R.I. + CI